ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-2* Issue-12* January- 2018
Innovation The Research Concept

नारी सशक्तीकरण : समता, विकास व शक्ति

सारांश

आजादी के पश्चात् दुनिया के विशालतम लोकतंत्र का सृजन करने वाले संविधान निर्माताओं ने समरसता एवं शोषणविहीन, समतामूलक समाज की स्थापना के आशयों से ही भारतीय संविधान में लैंगिक विभेदों को अस्वीकार करते हुये स्त्री–पुरुष समानता को मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया। भारतीय संविधान की यह घोषणा निःसंदेह सहस्रों वर्षों से चले आ रहे सामन्तवादी व्यवस्था व सामाजिक जीवन के अध्याय को समाप्त करती है, किन्तु समानता की इस सैद्धांतिक घोषणा की सदस्यता को स्वीकार करते हुये भी यदि अन्य प्रावधानों का अवलोकन किया जाये तो यह महिला सशक्तीकरण की दृष्टि से अपेक्षाकृत अपर्याप्त प्रावधान है।

महिलाओं के विषय एवं सोचनीय स्थिति को समझने के लिये यह आवश्यक है कि उस स्थिति के लिए जिम्मेदार सांस्कृतिक कारणों की तलाश की जाये एवं उनकी विवेचना/समीक्षा की जाये। महिलाओं की समान प्रस्थिति के लिये समाज की मानसिकता में परिवर्तन आये व समाज की चेतना में रूपान्तरण हो।

मुख्य शब्द : मुख्य शब्द लिखें

उदय पाल सिंह
असिस्टेंट प्रोफेसर,
समाजशास्त्र विभाग,
नेहरु कॉलेज,
छिबरामऊ, कन्नौज

प्रस्तावना

महिला विमर्श के वर्तमान स्वरूप का प्रारम्भ फेट मिलेट की पुस्तक 'सेक्सुअल पॉलिटिक्स' तथा बाद में विकसित मनोवैज्ञानिक, समाजवादी, रेंडिकल एवं उत्तर–संरचनावादी धाराओं की मिली–जुली विचारधारात्मक सोच से माना जाता है, किन्तु स्त्री असमानता के विरूद्ध चेतना का इतिहास काफी पुराना है। इस इतिहास में प्लेटो, जे०एस० मिल, जॉन लॉक, कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एजिला का स़्री समता का पक्षधर चिन्तन शामिल है, जो अवश्य ही महत्वपूर्ण है।

महिलावादी दृष्टि से उदारवादी चिन्तक मेरी वोल्सटन क्राफ्ट की 1792 में प्रकाशित 'ए विन्डीकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वोमन' उल्लेखनीय है। इस पुस्तक में उदारवादी लोकतांत्रिक स्त्री समानता की वकालत की ओर कहा महिलाओं को अपनी क्षमताओं को पहचान कर नवीन जीवन–दृष्टि विकसित करने का आवहान किया। पारिवारिक भूमिकाएं विद्रोह की परिधि में नहीं थी। लेकिन मताधिकार तथा सीमित वैधानिक अधिकार, शिक्षा के अवसर आदि तक सीमित रहा।

प्रस्तुत अध्ययन में उद्देश्य निम्न हैं–

1. महिलाओं की सामाजिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना।
2. महिलाओं की आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना।
3. महिलाओं की समस्याओं का पता लगाना।

अध्ययन क्षेत्र मेरठ जनपद के खरखौदा तहसील की महिलाओं के अध्ययन से सम्बन्धित है। अध्ययन पद्धति में निदर्शन पद्धति के साथ प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों ही प्रकार के आंकड़ों को एकत्रित किया गया। प्राथमिक आंकड़ों के एकत्रीकरण के लिए एक साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है।

भारतीय समाज में प्रचलित कुरीतियों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया। बाल–विवाह, विधवाओं की स्थिति, पर्दा–प्रथा ऐसी कुप्रथाएं थी, जिन्होंने स्त्री के साथ असमानता के व्यवहार को अन्याय तथा सोचीनय स्थिति में पहुंचा दिया था। गाँधी जी इस बात से पूर्णतः आश्वस्त थे कि शिक्षा स्त्रियों में जागरूकता को पढ़ाएगी और कहा कि शिक्षा व्यवस्था को पुनर्निर्मित किया जाये। यह कार्य समाज के शिक्षित वर्ग द्वारा ही किया जा सकता है। साथ ही गाँधी ने इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु इसमें शिक्षित महिलाओं के रचनात्मक सहयोग को भी आवश्यक माना। उन्होंने कहा कि शिक्षित महिलाओं को, स्त्रियों में शिक्षा तथा उनकी स्थिति के प्रति जागरूकता लाने और व्यवस्था में सुधार करने हेतु अपना सक्रिय सहयोग देना चाहिए।

महिलाओं के प्रति भारतीय सामाजिक संरचना के दोषपूर्ण प्रभावों से संविधान निर्माता भली–भांति परिचित थे। इसीलिए स्वतंत्र भारत में उन्होंने भारतीय संविधान में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार, समानतायें और स्वतंत्रतायें प्रदान की तथा साथ ही साथ ऐसे प्रावधान भी किए जो विशेषकर ऐतिहासिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान एवं उन्हें मानव अधिकार प्रदान करने के लिए अति आवश्यक थे, ताकि स्वतंत्रता, समानता और बन्धुत्व पर आधारित समाज का निर्माण हो सके। संविधान का अनुच्छेद–14 सभी महिलाओं को समानता की गारंटी देता है, अनुच्छेद–15(1) लैंगिक आधार पर भेदभाव समाप्त करता है, अनुच्छेद–16 सबको अवसरों समानता प्रदान करता है, अनुच्छेद–39(घ) में समान कार्य के लिये समान वेतन का प्रावधान है, अनुच्छेद–15(3) महिलाओं एवं बच्चों के पक्ष में विशेष प्रावधानों की अनुमति देता है, अनुच्छेद–15(अ)(ई) में महिलाओं के सम्मान के प्रति अपमानजनक प्रथाओं के त्याग का प्रावधान किया गया है।

महिला सशक्तिकरण आंदोलन को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने अनेक संवैधानिक सुरक्षा के साथ–साथ कारगर संस्थागत ढांचा भी खड़ा किया है। महिलाओं और बच्चों के विकास को आवश्यक गति प्रदान करने के लिये 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अन्तर्गत अलग से एक विभाग–महिला और बाल विधान विभाग का गठन किया गया तथा 1990 के राष्ट्रीय महिला अधिनियम के अनुपालन में 31 जनवरी, 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा से सम्बन्धित तमाम पहलुओं और सशक्तिकरण प्रक्रिया को बढ़ावा देने के सभी प्रयासों को इसके दायरे में लाया गया है।

लैंगिक समानता के लिए जन चेतना जाग्रत होना आवश्यक है। समानता की स्थिति प्राप्त करने तथा सामाजिक परिवर्तन के लिए स्वयं स्त्रियों का ही उपक्रम करने होंगे। सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को भी समानता की स्थापना तथा कुरीतियों के उन्मूलन में सहायक होना महत्वपूर्ण हो सकता है।

प्राचीन भारतीय समाज में शक्ति संस्तरण में पुरुषों के पास महिलाओं की अपेक्षा अधिक शक्ति रही है। अतः व्यवहार में भारतीय समाज पुरुष आधिपत्य प्रधान समाज रहा है। भारतीय समाज में जाति एवं लिंग पर आधारित निर्योग्यताएं विद्यमान रही हैं। सैद्धांतिक रूप से महिला का व्यक्तिगत परिवेश, उसके सम्बन्धियों की उससे अपेक्षा, उसकी आर्थिक स्थिति– ये तीन महत्वपूर्ण आयाम हैं जो उसकी चेतना के स्तर को निर्धारित करते हैं।

मानव समाज का इतिहास, महिलाओं को सत्ता, प्रभुता एवं शक्ति से दूर रखने का इतिहास है और इसीलिए प्रत्येक देश, प्रत्येक काल, प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म में महिलाओं को पुरुषों के बराबर न आने देने की संरचनात्मक व सांस्कृतिक बाध्यताएं बनायी गयी थी। महिला अधिकारवाद आंदोलन में समानता का अधिकारवाद व भेद–विभेद का अधिकारवाद मुख्य धारणाओं पर बल दिया जाता है और 1970 के दशक में महिलावाद का तेजी से विकास हुआ है। क्योंकि वैधानिक व्यवस्थाओं एवं अधिनियमों द्वारा ठोस एवं मजबूत दीवार तैयार की गयी। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज के विभिन्न स्थानीय निकायों के स्तरों पर महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान द्वारा सशक्तिकरण की प्रक्रिया को बल दिया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन में परिवारों में महिलाओं के बदलते प्रतिमानों का अध्ययन करने का एक लघु प्रयास है। सामाजिक मूल्यों एवं अर्न्तपीढ़ी गतिशीलता को दर्शाने का प्रयास किया गया है।

उत्तरदाताओं से प्राप्त तथ्यों के आधार पर तथ्यों के विश्लेषण के लिए जो सारणीयन किया गया है, वह निम्न प्रकार है–

तालिका सं०–1

आयु वर्ष के आधार पर महिलाओं का चुनाव

क्र० सं०		30–40 वर्ष	41–50 वर्ष	51 वर्ष से अधिक	योग
1.	विवाहित	42%	27%	12%	81%
2.	विधवा	-	4%	8%	12%
3.	तलाकशुदा	-	2%	5%	7%
योग		**42%**	**33%**	**25%**	**100%**

अध्ययन में उत्तरदाताओं में विवाहित महिलाओं को 30–40 वर्ष आयु की 42%, 41–50 वर्ष में 27% तथा 51 वर्ष से अधिक आयु को चुना गया है। विधवा महिलाओं में 41–50 वर्ष की 4% तथा 51 वर्ष से अधिक का 8% सहभागिता है। तलाकशुदा महिलाओं में 41–50 वर्ष की आयु 2% तथा 51 वर्ष से अधिक आयु के 5% को ही चुना गया है।

तालिका सं०–2

सामाजिक प्रस्थिति व मूल्यों के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं की मनोवृत्ति सम्बन्धित दृष्टिकोण

क्र० सं०	प्रमुख मुद्दे	उत्तरदाताओं का दृष्टिकोण			योग
		हाँ	नहीं	परिवारिक निर्णय	
1.	पारिवारिक दाम्पत्य जीवन से सन्तुष्ट पाई गई।	83%	17%	-	100%
2.	लड़कियों को लड़कों के समान शिक्षा दिलवाने के पक्ष में।	94%	4%	2%	100%
3.	पतियों या परिवार के खिलाफ बगावत लगाये गये प्रतिबन्धों पर।	59%	41%	-	100%
4.	महिलाओं को हमेशा अपने आप को अपने पति से निम्न (Inferior) मानना चाहिये।	37%	63%	-	100%
5.	पारिवारिक मामलों में निर्णय लेने की भागीदारी पुरुषों के समान महिलाओं को भी होनी चाहिए।	82%	6%	12%	100%
6.	समानता का व्यवहार पति व पत्नी के बीच होना चाहिए।	91%	9%	-	100%

सामाजिक प्रस्थिति व मूल्यों के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं का दृष्टिकोण पारिवारिक दाम्पत्य जीवन से सन्तुष्ट 83%, हाँ में राय दी तथा 17% नहीं में राय थी।

महिला उत्तरदाताओं ने लड़कियों को लड़कों के समान शिक्षा दिलवाने के पक्ष में 94% राय हाँ में दी तथा 4% ने नहीं में राय दी और 4% ने कहा कि लड़कियों को दूसरे घर जाकर खाना बनाना है। शिक्षित होकर क्या करेगी। 2% महिलायें पारिवारिक निर्णय पर छोड़ देती हैं।

उत्तरदाताओं की मनोवृत्ति में प्रतियों या परिवार के द्वारा महिलाओं पर लगाये गये प्रतिबन्धों के विरोध में बगावत करने के पक्ष में 59% है कि हमें पुरुषों के समान प्रस्थिति मिलनी चाहिये तथा 41% महिलाओं का कहना है कि पुरुषों को ही उच्च मानने पर घर का समाज में सम्मान रहता है।

उत्तरदाताओं से प्राप्त तथ्यों के आधार पर 37%, महिला को हमेशा अपने आप को अपने पति से निम्न प्रस्थिति में मानना चाहिये तथा 63% महिला का मानना है कि पति के समान दर्जा मिलना चाहिये।

पारिवारिक मामलों में निर्णय लेने की भागीदारी पुरुषों के समान महिलाओं की होनी चाहिये 82% की राय हाँ में है, 6% इसको बुराई मानते हैं तथा 12% उत्तरदाता पारिवारिक निर्णय पर छोड़ देते हैं।

उत्तरदाताओं का मानना है कि 91% समानता का व्यवहार पति व पत्नी के बीच होना चाहिये के पक्ष में है तथा 9% इस विचारधारा से सहमत नहीं हैं।

तालिका सं०–3
धार्मिक व वैधानिक नियमों के प्रति उत्तरदाताओं का दृष्टिकोण

क्र० सं०	प्रमुख मुद्दे	उत्तरदाताओं का दृष्टिकोण			योग
		हाँ	नहीं	परिवारिक निर्णय	
1.	पर्दाप्रथा व परम्पराओं की संकीर्णता/कठोरता हटाने के लिये	83%	3%	14%	100%
2.	वैधानिक रूप व सामाजिक रूप से महिलाओं को तलाक देने का अधिकार मिलना चाहिये।	95%	5%	-	100%
3.	महिलाओं को अपने पिता की सम्पत्ति में हक मांगने हेतु कभी भी कानूनी पहल करनी चाहिये।	4%	64%	32%	100%
4.	अशिक्षा, घरेलू दायित्वों में व्यस्तता, पुरुषों पर निर्भरता, महिला नेतृत्व की कमी सम्बन्धी कारक के प्रति सन्तुष्ट है।	7%	93%	-	100%

उपरोक्त तालिका के आधार पर सामाजिक, धार्मिक व वैधानिक नियमों के प्रति उत्तरदाताओं का दृष्टिकोण में पर्दाप्रथा व परम्पराओं की संकीर्णता/कठोरता हटाने के लिये 83% पक्ष में थे ने कहा कि महिलाओं की क्षमता व योग्यता को दबाया जाता है, 3% का दृष्टिकोण पर्दाप्रथा को सही मानते हैं तथा 14% यह निर्णय पर्दाप्रथा को हटाना है या नहीं पारिवारिक निर्णय पर छोड़ने की बात कहते हैं।

वर्तमान समाज में वैधानिक रूप व सामाजिक रूप से महिलाओं को तलाक देने का अधिकार, वक्त आने पर 95% उत्तरदाताओं का कहना पक्ष में था, 5% विरोध में थे और कहा इससे अपराधिक प्रकृति आती है।

महिलाओं को अपने पिता की सम्पत्ति में हक मांगने हेतु कभी भी कानूनी पहल करनी चाहिये। 4% उत्तरदाता उचित मानते हैं। इसमें लैंगिक भेदभाव कम होगा, लेकिन 64% ने इसका विरोध किया क्योंकि हमारी प्राचीन परम्परा पितृसत्तात्मक रही है। 32% महिला उत्तरदाताओं ने पारिवारिक निर्णय पर छोड़ दिया। मत स्पष्ट नजर नहीं आये।

7% उत्तरदाताओं ने महिला अशिक्षा, घरेलू दायित्वों में व्यस्तता, पुरुषों पर निर्भरता, महिला नेतृत्व की कमी सम्बन्धी कारण के प्रति सन्तुष्टि दिखाई और कहा दोनों ही घर से बाहर होंगे तो घर की देखभाल कौन करेगा तथा 93% उत्तरदाताओं का कहना समानता वादी विचारों का था। समाज का विकास व परिवार की प्रगति समतावादी विचारों से होगी।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध पत्र के निष्कर्षों से परिणाम निकलता है कि लैंगिक असमानता, परम्परावादी विचार प्रथा, पितृसत्तात्मक गुण के ऊपर उठकर समतावादी समाज का पक्षधर बनना चाहिये। अक्सर ऐतिहासिक तथ्यों, अनर्विरोधों एवं परिवर्तन के तत्वों की अनदेखी कर दी जाती है। यही कारण है कि महिला समानता एवं अधिकारों के लिये किये गये प्रयासों, सुधार आंदोलनों, महिला आंदोलनों एवं व्यक्तिगत योगदानों का समुचित मूल्यांकन नहीं हो पाया है।

ब्रिटिश शासन काल में शिक्षा का प्रसार हुआ। कई शिक्षण संस्थान खोले गए और महिलाओं को शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए, किन्तु सामाजिक व्यवस्था जटिल होने के कारण इसका विशेष लाभ महिलाओं को नहीं मिल पाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने शैक्षणिक अवसरों की समानता को स्वीकार किया कि प्रजातंत्र की सफलता के लिए समस्त नागरिकों को शिक्षा समान रूप से मिलनी चाहिए, लेकिन महिलाएं इसका समुचित लाभ नहीं उठा पा रही हैं। कन्या हत्या, बाल–विवाह, पुनः विवाह की अस्वीकृति, पर्दा–प्रथा ने महिलाओं की स्थिति और भी निम्न बना दी। महिलाओं के अधिकारों का हनन हर युग में पुरुष प्रधान समाज द्वारा किया गया, जब स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गयी और महिलाएं अपने अस्तित्व से दूर होने लगी, तब उनकी स्थिति में सुधार हेतु अधिनियमों के निर्माण किये गये। परन्तु इन अधिनियमों ने महिलाओं के संरक्षण व समानता के अधिकार को धीरे–धीरे बदलने के प्रयास किये हैं। जिस तीव्रता से महिलाओं में चेतना, शिक्षा जागरूकता एवं

अपने अस्तित्व एवं अधिकार के लिए संघर्ष में तीव्रता आयी है, उसी तीव्रता से महिलाओं के विरूद्ध अपराधों में वृद्धि हो रही है। अभी भी महिला उपयोगितावादी संस्कृति में उपभोग की वस्तु बनी हुई है। समाज के विकास में बराबर की सहभागिता होने के पश्चात् भी महिला अपना अस्तित्व इस पुरुष सतात्मक व्यवस्था में आज भी खोज रही है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. *नीरा, देसाई– 'वुमन इन मॉडर्न इण्डिया', वोरा एण्ड कम्पनी पब्लिशर्स, मुम्बई, 1957, पृ० 287*
2. *डॉ० तिवारी, आर० पी० एवं डॉ० शुक्ला, डी०पी०– 'भारतीय नारी : वर्तमान समस्यायें और भावी समाधान', 2008, ए० पी० एच० पब्लिशिंग कॉरपोरेशन, नई दिल्ली*
3. *भारत सरकार, सेन्सस ऑफ इण्डिया, 2011, प्राईमरी सेन्सस ओक्ट्रक्ट*
4. *जैन, प्रतिभा– 'पारम्परिक प्रतिमानों की पुर्नव्यवस्था : सन्दर्भ स्त्रियों का', आशा कौशिक (सं०) गाँधी नवी सदी के लिए, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2000, पृ० 72–88*
5. *मिलेट, केट– 'सेक्सुअल पॉलिटिक्स', लन्दन, स्फियर, 1971*
6. *वॉल्सटन क्राफ्टर, मैरी– 'ए विन्डीकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वोमन 1792', हार्मण्डसवर्थ, पेंग्विन, 1983*